मे रखा गया । देखिये संख्या LT 642/67. ।]

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफ़ारिश के लिये उपयुक्त स्तर के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही थे ।

(घ) सभा पटल पर रखे गये विवरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि 1963 मे आरक्षित पदों पर भरती के लिये अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियो के उम्मीदवारो की संख्या में कोई कमी नही हुई । अतः इस दिशा मे सुधार तो पहले ही किया जा चुका है ।

Conspiracy by Mizo Rebels

2437. Shri Swell: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that documents recovered from a captured Mizo rebel on the 9th May, 1967 reveal a conspiracy to blow up ships of the Indian Navy;

(b) whether Government have thoroughly investigated his matter; and

(c) if so, the findings thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). Some documents were recovered on 9th May, 1967 from one MNF runner, which included some letters written by the so-called Mizo Intelligence Service of the hostiles to the Military Intelligence Service of Pakistan. It would not be in the public interest to divulge further details thereof, as it is likely to be prejudicial to the interests of security.

Letter by Prime Minister to Sant Fateh Singh

2438. Shri Swell: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the allegations that have appeared in the press that the letter which the Prime Minister wrote to Sant Fateh Singh in December, 1966 has been stolen from the custody of the Sant and returned to the Central Government;

(b) whether any enquiry has been made into these allegations; and

(c) if so, the findings thereof.

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) Some report did appear in the press alleging the theft of a letter assumed to have been sent by the Prime Minister to Sant Fateh Singh through Sardar Hukam Singh when the Sant was fasting in December last year.

(b) and (c). The allegations are wholly baseless. No such letter was sent by the Prime Minister to Sant Fateh Singh through Sardar Hukam Singh

हिन्दी सहायकों के लिये पदोन्नति के अवसर

2439. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री रवि राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले हिन्दी सहायकों में बडा असतोष व्याप्त है क्योंकि वे लोग उन पदों पर सात वर्ष से अधिक समय से लगातार कार्य कर रहे है और उनके लिये अगले ऊंचे पदो पर पदोन्नति का कोई अवसर प्राप्त नही है ; और

(ख) यदि हा, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये विशेष रूप से जब कि इसी वेतन-क्रम मे तथा अन्य समान सेवाओं के लोगों को पदोन्नति मिल चुकी है, क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). हिन्दी सहायकों के पद इकके दुक्के असंवर्गीय

पद हैं । ऐसे असंवर्गीय पदो से सीधी पदोन्नति के लिये स्पष्टत: कोई ऊंचे पद नही हो सकते किन्तु हिन्दी सहायको के लिये प्रगति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सभी मंत्रालय आदि को सलाह दी गई है कि हिन्दी सहायको को सामान्यत केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे श्रेणी II और श्रेणी–I (कनिष्ठ) पदो के लिये आवेदन करने की अनुमति दी जाये जिनके लिये हिन्दी में उच्चतर योग्यताओ अथवा उच्च स्तरीय दक्षता तथा हिन्दी मे काम करने का अनुभव आवश्यक हो । सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या अन्य प्रकार से उपयुक्त तथा योग्य होने पर उच्चतर पदो में नियुक्ति के लिये चयन के बारे म हिन्दी सहायको को पूर्वाधिकार प्रदान किया जा सकता है ।

हिन्दी सहायक

2440. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी सहायको के लिये पदोन्नति का कोई नियमित अवसर न होते हुए भी उनको अनुभाग अधिकारी के पद के लिये विभागीय प्रतियोगी परीक्षा मे बैठने नही दिया जाता ,

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण है , और

(ग) इसी वेतन-मान वाले अन्य सहायको को इस परीक्षा मे बैठने की अनुमति देने के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). हिन्दी सहायक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सदस्य नही हैं और स्पष्टत इसी कारण से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के लिये उपयुक्त घोषित नही किये गये । वस्तुत. यह प्रतियोगी परीक्षा एक पदोन्नति परीक्षा है । जिसमें बैठने का अधिकार केवल केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के उपयुक्त अधिकारियो को है ।

हिन्दी सहायकों की नियुक्ति

2441. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री रवि राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कुछ मंत्रालयो तथा कार्यालयो में हिन्दी सहायक तथा हिन्दी अनुवादक तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये हैं , यद्यपि वे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण नही हो सके थे ,

(ख) यदि हा, तो ऐसे कर्मचारियो की संख्या कितनी है

(ग) क्या उन्हे नियमित करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा उनकी परीक्षा लेने का विचार है , और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) और (ख) जून, 1959 में संघ लोक सेवा आयोग ने हिन्दी सहायको के पदो के लिये एक परीक्षा ली और उसमें उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारो को उपलब्ध पदो पर नियुक्त कर दिया गया । इसके बाद रिक्त रहने वाले या बाद मे स्वीकृत पद विभिन्न मंत्रालयो आदि द्वारा अपने उपयुक्त कर्मचारियो मे से एतदर्थ आधार पर नियुक्ति द्वारा भरे गये । हिन्दी अनुवादको के पदो के लिये कोई परीक्षा नही ली गई । अत इन पदो पर सम्बन्धित मंत्रालयो द्वारा भरती सम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नियुक्तिया की जाती हैं ।